(7) 8269 / 22

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Manoj Kumar, E-Stamping Vendor, Atrauli (Aligarh)

Certificate No.	:	IN-UP65083565482670U
Certificate Issued Date	:	10-Aug-2022 01:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14426304/ ATRAULI/ UP-ALG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14426304223677714314 11U
Purchased by	:	SURESH CHANDRA SON OF KUMARSEN
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	MOJA HARDOI TEHSIL ATRAUL DISTRICT ALIGARH
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SURESH CHANDRA SON OF KUMARSEN
Second Party	:	SHRIKUMARSENSHARMA EDUCATIONALTRUST HARDOIBYSACHIV
Stamp Duty Paid By	:	SURESH CHANDRA SON OF KUMARSEN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,09,400 (Two Lakh Nine Thousand Four Hundred only)

e-Stamp LOCKED

Please write or type below this line

KC 0026805489

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

दान पत्र (पेज नं0 02)

समक्ष :– श्रीमान उपनिबन्धक महोदय अतरौली जनपद अलीगढ़।

प्रथमपक्ष दानदाता की पहचान:– आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 1676

पैन कार्ड नम्बर :– AVPPS0447K

मोबाइल नम्बर :– 9758220341

द्वितीयपक्ष दानगृहीता की पहचान :– आधार कार्ड सं0–XXXX XXXX 6416

पैन कार्ड नम्बर :– AAWTS3457K

मोबाइल नम्बर :– 9811794676

यूनिक नम्बर :– 1221800531000012

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमरसैन शर्मा
नि० हरदोई तह० अतरौली

प्रवीन कुमार पुत्र श्री सुरेशचन्द्र शर्मा
नि0 हरदोई तहसील अतरौली

बाकै मौजा :– हरदोई परगना व तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़।

सम्पत्ति का प्रकारः— आराजी सिंचित कृषि भूमि।

सम्पत्ति का विवरणः— आराजी खाता खतौनी सं0 46 के गाटा संख्या 531 रकवा 1.983 है0 लगानी 60ख का 1559/1983 भाग में से रकवा **0.810 है0** अपना कुल भाग दान किया गया है।

सीमाऐं इस प्रकार है किः— पूरब में खेत भगवती प्रसाद व पश्चिम में चकरोड व उत्तर में अतरौली आलमपुर मार्ग व दक्षिण में खेत सौरव दीक्षित आदि।

जातिः— दानदाता व दानग्रहीता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य नही है।

प्रतिफल :— शून्य

मालियत :— 41,86,000/— रूपया।

ई—स्टाम्प :— 2,09,400/— रूपया।

रेट :— 4000000/— प्रति हैक्टेयर जो कि रेट लिस्ट के पेज नम्बर 45 के क्रमांक 396 के कोड सं0 1296 के अनुसार है। तथा सड़क व आबादी के पास होने के कारण 0.100है तक दूना तथा 15 प्रतिशत अतिरिक्त

हम कि श्री सुरेशचन्द्र पुत्र कुमरसैन निवासी ग्राम हरदोई परगना व तहसील अतरौली जिला अलीगढ **(दानदाता प्रथमपक्ष)** व श्री **कुमर सैन शर्मा एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट हरदोई** तहसील अतरौली जिला अलीगढ **सचिव प्रवीन कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र शर्मा** निवासी ग्राम हरदोई पोस्ट हरदोई परगना व तहसील अतरौली जिला अलीगढ **(दानगृहीता द्वितीयपक्ष)** के हैं, आराजी खाता खतौनी सं0 46 के गाटा संख्या 531 रकवा 1.983 है0 लगानी 60ख स्थित मौजा **हरदोई** परगना व तहसील अतरौली जिला अलीगढ का प्रथमपक्ष दानदाता **1559/1983** भाग का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक व काबिज व दखील हूँ। मुझ दानदाता प्रथमपक्ष के उक्त भाग की आराजी आज तक हर प्रकार के भार आदि से कतई पाक व साफ है। इसके विक्रय आदि के मुझ दानदाता प्रथमपक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, मुझ दानदाता प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त भाग में से **रकवा 0.810 है0 भूमि** को द्वितीयपक्ष दानगृहीता श्री **कुमर सैन शर्मा एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट**

हरदोई तहसील अतरौली जिला अलीगढ **सचिव प्रवीन कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र शर्मा** निवासी ग्राम हरदोई पोस्ट हरदोई परगना व तहसील अतरौली जिला अलीगढ को दान दे दिया है। जिसमें द्वितीयपक्ष दानग्रहीता **सचिव प्रवीन कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र शर्मा** ने दान स्वीकार कर लिया हैं, और आज से ही कब्जा व दखल प्रथमपक्ष दानदाता ने द्वितीयपक्ष दानग्रहीता को करा दिया गया है। अब द्वितीयपक्ष दानदाता को अधिकार होगा कि वह माल दफ्तर में अपनी दरख्वास्त देकर अपना नाम मुझ प्रथमपक्ष दानदाता के साथ–साथ कागजात सरकारी में दर्ज करा लेवे, जिसमें मुझ प्रथमपक्ष व वारिसान मेरों को कुछ उज्र न होगा। यदि दानपत्र से सम्बन्धित भविष्य में कोई विवाद पैदा होता है तो उसमें दोनों पक्ष ही जिम्मेदार होगें अन्य कोई जिम्मेदार नही होगा। दान की गई भूमि सिंचित है। दान की गई भूमि में कोई पेड़ व नलकूप आदि नही है। 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। दान की गई भूमि की दर 4000000/– रूपये है0 के हिसाब से उक्त भूमि की मालियत 41,86,000/–

रूपये होती है जिस पर 2,09,300/– रूपये का असल स्टाम्प तथा 100 रूपये का अतिरिक्त स्टाम्प अदा किया गया है इस प्रकार 2,09,400/– रूपये का ई–स्टाम्प अदा किया गया है। दान की गई सम्पत्ति का पूर्व में कोई इकरारनामा आदि अन्य व्यक्ति को नही किया गया है। दान की गई सम्पत्ति भूदान, सींलिंग, ग्राम सभा से सम्बन्धित नही है। दान की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। अतः मन, बुद्धि व इन्द्रियों की प्रसन्नता एवं स्वेच्छा से बिना किसी जब्र व दबाव के यह दानपत्र आज दिनांक 10–08–2022 व मुकाम तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ पर तहरीर करा दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। बाद तहरीर के दानपत्र को पढ़कर सुनाया गया है। दानपत्र का **खर्चा प्रथमपक्ष दानदाता** द्वारा वहन किया गया है। ड्राफ्टकर्ता राकेश कुमार एडवोकेट तहसील अतरौली एवं

[illegible]

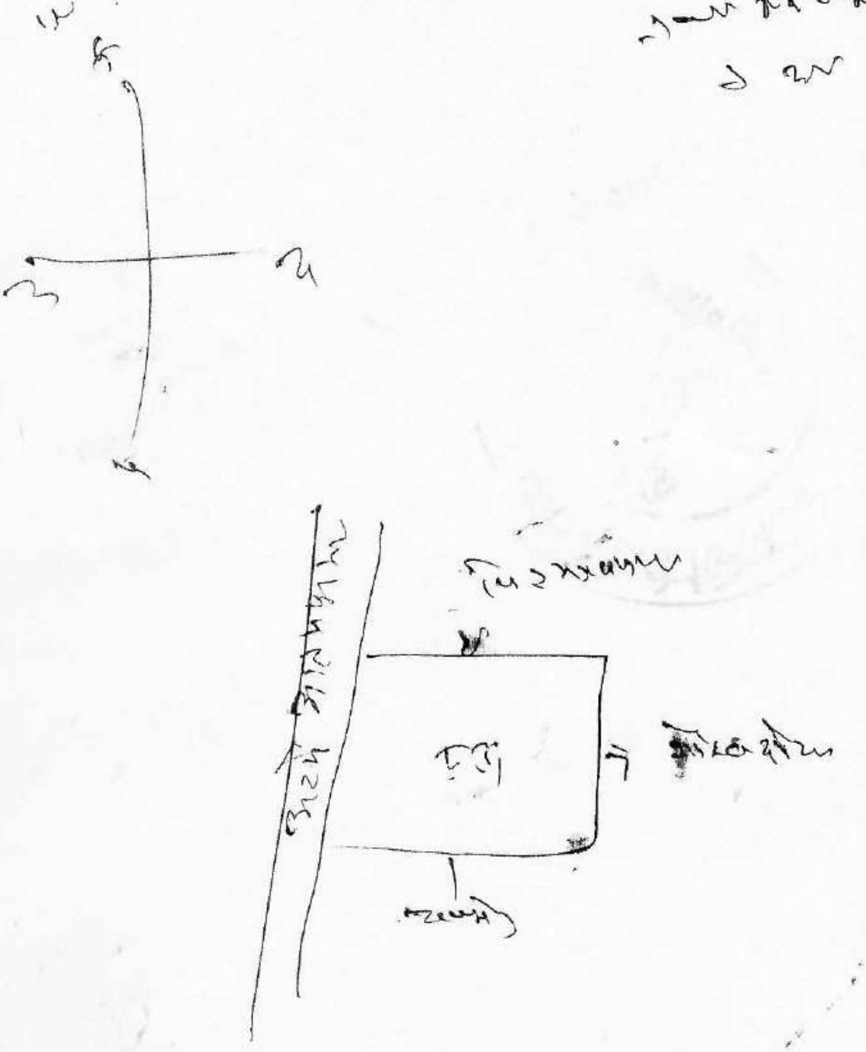

प्रथमपक्ष

द्वितीयपक्ष

(7)

टंकणकर्ता सूरज तहसील अतरौली जिला अलीगढ़।

गवाह (1) राकेश कुमार शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा
नि0 मौ0 सराय खोखल कस्बा व तहसील अतरौली
आधार कार्ड सं0– XXXX XXXX 9267
मो0नं0 7078078709

राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा
नि0 मौ0 सराय खोखल कस्बा
व तह0 अतरौली

गवाह (2) अरूण कुमार पुत्र मनमोहनलाल
नि0 गंगीरी तह0 अतरौली
आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 6731
मो0नं0 9719513515

अरून कुमार पुत्र श्री मनमोहनलाल
नि0 गंगीरी तह0 अतरौली

ड्राफ्टकर्ता व फोटो प्रमाणिकर्ता के हस्ताक्षर :–
टंकणकर्ता के हस्ताक्षरः–

Rakesh Kumar Sharma
Advocate
Teh. Atrauli (Aligarh)
Reg.No.-4579/89
CPO No 089209
Mob. No. 7078078709